an>

Title: Need to bring a legislation on the lines of Gujarat Rent Control Act to protect shopkeepers of Delhi from eviction.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। दिल्ली में एक बहुत विकट समस्या पैदा हो गयी है। दिल्ली के लगभग दस लाख किराएदारों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। आज़ादी के पहले पगड़ी सिस्टम हुआ करता था। Pagri amount was almost the amount of the realisation of property and the cost of the property. उसी की वज़ह से उनसे नॉमिनल रेंट लिया जाता था, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पहले ही उनके द्वारा पे कर दिया जाता था। उसमें अभी यह हुआ कि दिल्ली रेंट एक्ट में परिवर्तन हो गया है। वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अब कॉमर्शियल और रेसिडेंसिएल प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएशन हो गया है। इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर अभी बहुत परेशानी हो गयी है और लाखों-लाख ट्रेडर्स दुकानों से फेंके जा रहे हैं।

महोदय, जब मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तो उस समय गुजरात में रेंट एक्ट आया था। वह रेंट एक्ट एक बैलेंस एक्ट है। Neither it is in favour of tenant nor much in favour of owners. दिल्ली में भी एक बैलेंस रेंट एक्ट आना चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली का जो रेंट एक्ट है, यह बहुत पार्शियल है। इसलिए इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। इस समय अमित शाह जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही उस समय गुजरात में वहां के रेंट एक्ट को ड्राफ्ट किया था। उस तरह का रेंट एक्ट दिल्ली में लाया जाना चाहिए, ताकि इन ट्रेडर्स को भुखमरी से बचाया जा सके। ये छोटे-छोटे और मीडियम ट्रेडर्स हैं। They are being thrown on the road.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Maheish Girri, Shrimati Meenakashi Lekhi, Shri Rajesh Ranjan, Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Keshav Prasad Maurya are allowed to associate with the demand raised by Dr. Udit Raj.